संख्या-704/2021/4341/41-2021-77(बजट)/2018

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 13 दिसम्बर, 2021**

विषय:-जनपद मथुरा में गोवर्धन स्थित बस स्टैण्ड के पुनर्विकास (बस स्टैण्ड जोन) के निर्माण कार्य हेतु तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4758/6-1-1(26)/ब्र0ती0वि0प0/2019, दिनांक 18 नवम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- **जनपद मथुरा में गोवर्धन स्थित बस स्टैण्ड के पुनर्विकास (बस स्टैण्ड जोन) के निर्माण कार्य हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था **मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा** गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-151/2018/2724/41-2018-77(बजट)/2018 दिनॉक 27 अगस्त, 2018 द्वारा रू0 2,35,44,000.00 (रूपये दो करोड़ पैंतीस लाख चौवालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 67,88,000.00 (रूपये सड़सठ लाख अट्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत प्रायोजना में कतिपय कार्यों को जोड़े व घटाये जाने के कारण संशोधित आगणन रू0 3,42,81,000.00 (रूपये तीन करोड़ बयालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) को उपलब्ध कराया गया था। उक्त संशोधित आगणन का परीक्षण पर्यटन विभाग में गठित अप्रेजल समिति से आंकलन कराये जाने के उपरान्त रू0 3,06,81,000.00 (रूपये तीन करोड़ छः लाख इक्यासी हजार मात्र)+जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविक भुगतान के आधार पर) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-193/2019/1961/41-2019-77(बजट)/2018 दिनॉक 11 जुलाई, 2019 द्वारा जारी की गयी थी। तदनन्तर शासनादेश संख्या-07/2020/3903/41-2019-77(बजट)/2018 दिनॉक 06 जनवरी 2020 द्वारा धनराशि रू0 2,38,**93,000.00 लाख (रूपये दो करोड़ अड़तीस लाख तीरान्नवे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गई । तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन द्वारा अभी तक अवमुक्त की गई कुल धनराशि रू0 306.81 लाख के व्यय होने की सूचना देते हुये कार्यपूर्ति की सूचना एवं जी0एस0टी0 मद में व्यय की गई धनराशि रू0-33.61 लाख का व्यय विवरण उपलब्ध कराते हुये जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उल्लेखनीय है कि निदेशालय द्वारा अपने अनुरोध के समर्थन में इस **प्रायोजना की टेण्डर्ड लागत / उसके सापेक्ष मदवार व्यय विवरण /डिफेक्ट लाइबिल्टीज अवधि के लिये शासनादेश दि0-29-9-21 के प्राविधानान्तर्गत 05 प्रतिशत धनराशि को रोके जाने के तथ्यों को संज्ञान में लिये बिना ही अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त परियोजना की कार्यपूर्ति से संबंधित प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता प्रमाण पत्र रंगीन फोटोग्राफ भी नहीं उपलब्ध कराये गये हैं ।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त अभिलेखों को कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर अवशेष धनराशि अवमुक्त करने हेतु सुसंगत प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
2- उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
4- उप निदेशक पर्यटन निदेशालय , लखनऊ।
5- उप निदेशक पर्यटन आगरा ।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।